JAIPUR METRO

जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड

2nd floor,wing –B Admin,metro rail depot,Bhrigu path,Mansarovar,Jaipur-302020
CIN: U60221RJ2010SGC030630
दूरभाष: 0141–2822217
वेबसाइटः www.jaipurmetrorail.in; email: jmrc.finance@rajasthan.gov.in

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांकः– एफ.2 (411) जेएमआरसी / वित्त / अग्रिम / 2016–17 / 806 दिनांक– 8/2/2021

परिपत्र

विषयः–अग्रिम (Advance) के आहरण, उपयोग एवं अवशेष राशि के नियमितिकरण बाबत् ।

संस्थान में विविध प्रकार के खर्चों के लिए व्यय करने के उपरान्त इनवाइस / बिल प्रस्तुत किए जाने पर नियमानुसार भुगतान किए जाने के प्रावधान हैं, परन्तु कई व्यय ऐसे होते हैं जो आकस्मिक, अति आवश्यक एव विशेष प्रकृति के होने के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि व्यय किए जाने से पूर्व ही राशि (अग्रिम रूप से) आहरित की जावे। इसके लिए शासन के वित्तीय नियमों एवं संस्थान में लागू वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन (SOP) में उचित प्रावधान उपलब्ध हैं।

वित्तीय नियमों का यह स्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी **अग्रिम की आवश्यकता होने पर, राशि को सही समय पर (Just in Time) ही आहरित किया जावे एवं व्यय का उद्देश्य पूर्ण होते ही उसका लेखा प्रस्तुत कर, अव्ययित शेष राशि यथा शीघ्र (निर्धारित अवधि के भीतर) जमा करायी जावे।**

वित्तीय नियमों में अग्रिमों (Advance) का लेखा व अव्ययित शेष राशि को चार सप्ताह की अधिकतम अवधि के भीतर जमा करायां जानां अपेक्षित है। अन्यथा **उस राशि पर 18% प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर से साथ वसूली किये जाने का प्रावधान भी है।** समय पर अवशेष राशि जमा नही किए जाने की स्थिति में अग्रिम राशि की वसूली (कार्मिक को सूचित किए बिना ही) आगामी माह के वेतन से, उस पर 18% प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर के साथ, वसूल की जा सकती है।

ऐसा देखा गया है कि उक्त प्रावधानों के बावजूद कई बार अग्रिमों का समायोजन समय पर नहीं कराया जाता है जिससे ऑडिट आक्षेप बनने की सम्भावना रहती है।

JAIPUR METRO

जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड

2nd floor,wing –B Admin,metro rail depot,Bhrigu path,Mansarovar,Jaipur-302020
CIN: U60221RJ2010SGC030630
दूरभाषः 0141–2822217
वेबसाइटः www.jaipurmetrorail.in; email: jmrc.finance@rajasthan.gov.in

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

वित्तीय नियमों के आलोक में संस्थान के सभी निदेशालयों को यह परामर्श दिया जाता है कि अग्रिम (Advance) राशि की स्वीकृति पूर्व से ही ज्ञात व्ययों एवं विशिष्ठ प्रकृति के कार्यों हेतु ही की जावे। अग्रिम राशि के आहरण को नियमित अभ्यास ना बनाया जावे। अग्रिम के आहरण का उद्देश्य पूर्ण होते ही अधिकतम 15 दिवस के अन्दर उसका लेखा संस्थान में प्रस्तुत करें तथा अव्ययित शेष राशि यथा शीध्र निर्धारित अवधि के भीतर जमा करायी जावे। निर्धारित चार सप्ताह की समय सीमा के उल्लंघन पर नियमानुसार संबंधित कर्मचारी से ब्याज सहित वसूली की जा सकेगी।

वित्त निदेशालय के अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस पर प्रभावी रूप से निगरानी रखें तथा संबंधित कार्मिक से अग्रिम व ब्याज की वसूली उक्तानुसार वेतन बिलों से नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(हरीश लड्ढा)
निदेशक (वित्त)

क्रमांकः—एफ.2 (411) जेएमआरसी/वित्त/अग्रिम/2016—17/805 दिनांक—8/2/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थः—

1. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि.,जयपुर।
2. समस्त पूर्णकालिक निदेशकगण, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि.,जयपुर।
3. समस्त कार्यकारी निदेशक, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि.,जयपुर।
4. समस्त महाप्रबन्धक, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि.,जयपुर।
5. वित्त निदेशालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी।
6. ✓ नोडल अधिकारी, आई टी सेल, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि.,जयपुर को, वेबसाईट पर परिपत्र टेब में व इन्ट्रानेट पर अपलोड किए जाने हेतु।

महाप्रबन्धक (वित्त)
जयपुर मेट्रो रेल
कॉरपोरेशन लि.जयपुर।